न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—138 / 2023

प्रार्थीः—

विजय कुमार पुत्र मादाराम जाति सुथार निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 13.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 511 व 1296 रकबा 7.9804 व 2.2258 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र व पैनकार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''विजय कुमार पुत्र मादाराम '' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''बजाराम पुत्र मादीया व वजाराम पुत्र मादीया'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 3271 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने ई श्रमकार्ड, जनआधार कार्ड,बैक पासबुक, पेनकार्ड, आधारकार्ड आदि प्रस्तुत किये है।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''विजय कुमार पुत्र मादाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 511 व 1296 रकबा 7.9804 व 2.2258 हैक्टेयर भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''बजाराम पुत्र मादीया व वजाराम पुत्र मादीया'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ई श्रमकार्ड, जनआधार कार्ड,बैक पासबुक, पेनकार्ड, आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''विजय कुमार पुत्र मादाराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''बजाराम पुत्र मादीया व वजाराम पुत्र मादीया'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''विजय कुमार पुत्र मादाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महिलावास के खसरा संख्या 511 व 1296 रकबा 7.9804 व 2.2258 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''बजाराम पुत्र मादीया'' व ''वजाराम पुत्र मादीया'' के स्थान पर ''विजय कुमार पुत्र मादाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:14 IST
Reason: SelfAttested